प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : <u>www.rbi.org.in/hindi</u> Website : <u>www.rbi.org.in</u> ई-मेल/email : <u>helpdoc@rbi.org.in</u>





संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

25 नवंबर 2024

भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार **₹30,000** करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए **तीन** दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

| क्र. सं. | प्रतिभूति | चुकौती की तारीख | अधिसूचित राशि (₹ करोड़) | भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना | नीलामी की तारीख | भुगतान की तारीख |
|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 7.02% जीएस 2031 | 18 जून 2031 | 10,000 | <u>एफ़ सं. 4(3)-बी</u> | | |
| 2 | नई जीओआई एसजीआरबी 2034 | 2 दिसंबर 2034 | 5,000 | (डब्ल्यू एंड एम)/ <u>2024</u> दिनांकित | 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) | 2 दिसंबर 2024 (सोमवार) |
| 3 | 7.34% जीएस 2064 | 22 अप्रैल 2064 | 15,000 | <u>25 नवंबर 2024</u> | | |
| | कुल | | 30,000 | | | |

- 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।
- 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट 'विशिष्ट अधिसूचना' में उल्लिखित नियमों और शर्तों और <u>27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2018</u> के अनुसार की जाएगी।
- 4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धित का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा उसी दिन की जाएगी और सफल बोली लगाने वालों को भुगतान 2 दिसंबर 2024 (सोमवार) को करना होगा।

5. अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) भाग की हामीदारी हेतु बोलियां प्राथमिक व्यापारी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 9:00 बजे से पूर्वाह्न 9:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।

- 6. स्टॉक **26 नवंबर 29 नवंबर 2024** तक की अवधि के लिए "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
- 7. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और अन्य जानकारियाँ अनुलग्नक में दी गई हैं।

अजीत प्रसाद

उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1576

नीलामी के प्रकार

- 1. एकाधिक मूल्य-आधारित नीलामी के लिए, सफल बोलियों को प्रतिभूति के लिए संबंधित उद्धृत प्रतिफल /मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा। एकसमान मूल्य-आधारित नीलामी के लिए बोलियां नीलामी में स्वीकृत कट ऑफ प्रतिफल/मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी।
- 2. नवीन प्रतिभूतियों के लिए नीलामी **प्रतिफल आधारित** और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों के लिए नीलामी **मूल्य आधारित** होगी।
- 3. अस्थिर दर वाले बॉण्ड (एफ़आरबी) की स्थिति में, नवीन प्रतिभूति की नीलामी स्प्रेड आधारित और पुनर्निर्गम की गई प्रतिभूतियों की नीलामी मूल्य आधारित होगी। नई एफ़आरबी के लिए बोली लगाते समय, स्प्रेड को प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

न्यूनतम बोली आकार

4. स्टॉक को ₹10,000/- की न्यूनतम राशि **(**सांकेतिक ॅतथा उसके उपरांत ₹10,000/- के गुणजों में जारी किया जाएगा।

गैर-प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र

- 5. सभी नीलामियों म़ेंबिक्री की अधिसूचित राशि के प्रतिशत तक्के सरकारी स्टॉक को सोकारी प्रतिभूतियों की नीलामींगैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुिष्ठा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैन्य्रतिस्पर्धी कोज्ञमनुसार बोलियां लगा सकते हैं।
- 6. प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) अपने संघटकोंसे प्राप्त पुख्ता ऑर्डर के आधार संघटकों की ओरसे एक समेकित गैन्स्रतिस्पर्धात्मक बोली भारतीयरिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान र्द्ध-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रिक फार्मेट में म्नस्कुरेंगे।
- 7. बैंक या प्राथमिक व्यापारी क्रौफ़्रितस्पर्धात्मक खंडके अंतर्गत आ़स्क्रंग्रन बोलियों के प्रतिफल/ मूल्य की भारित औसतदर पर होगा जो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधारपर नीलामीसे उत्पन्नोगा।

बोलियों को प्रस्तुत करना

- 8. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक औरगैन्प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां चिनक्ट्रफार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के को खैंकिंग समाध(र्म्मुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 9. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूपमें स्वीकातहीं किया जाएगा।

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)-आईटी विफलता

- 10. केवल सिस्टम विफलता की स्थिति ,मेंबोलियों को भौतिक रूप में स्वीकिकया जाएगा। ऐसी भौतिक बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक्की वेबसाइट (https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/forms) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म्मीलामी समय समाप्त होने से पहलोक ऋण कार्यालय, मुंबई को (ईमेल; फोन नंबर: 022-22603456, 022-22603457, 022-22603190) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 11. तकनीकी कठिनाइयों के मामले मेंकोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क<u>ईमेल</u>; फोन नंबर: 022-69870466, 022-69870415) किया जाना चाहिए।
- 12. नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों केलिए, आईडीएमडी की नीलामी टीम से संपर्क <u>ईमेल</u>; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

एकाधिक बोलियाँ

- 13. एक निवेशक एक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बोलीइर्लेक्क्रॉफार्मेट में भारतीयरिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान(ईकुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत करसक्क्षेता
- 14. तथापि, एक निवेशक द्वारा नीलामी में प्रस्तुत बोली की सकलराशि नीलामीहेतु अधिसूचितराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 15. प्राप्त बोलियों केसाधार, नीलामी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी स्टॉक की खरीदीके लिए निविदा हेतु स्वीकार करने योग्य न्यूनतम मूल्याधिकतम पुरत किनिर्धारित करेगा।
- 16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यसेअधिकतम प्रत फ्लिस अधिकिद्धृत की गई बोलियों कोमस्वीकार किया जाएगा।
- 17. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी बोली या सभीबोलियों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने कापूरा अधिकारसुरक्षित है।

प्रतिभूतियों का निर्गम

18. सफल बोली लगाने वालों को प्रतिभूतियों का निर्गमारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) रखने वाले पार्टियों के एसजीएल खातेमें क्रेडिट करते हुए या स्टॉक प्रमाणपत्रके रूप में किया जाएगा।

ब्याज भुगतान की आवधिकता

19. गैर-मानक परिपक्वताओं वाले सरकारीस्टॉक को छोड़कर प्रतिभूतियों पर ब्याज काअर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कूपन भुगतान की सटीक आवधि प्रतिभूति के निर्गम की विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित है।

सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी

20. 'प्राथमिक व्यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़ैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित <u>14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबी अप्रैर्</u>श07-08/186 द्वारा घोषित "हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योकोन्ध्रानुसार की जाएगी।

पुनर्खरीद लेनदेन(रेपो) केलिए पात्रता

21. स्टॉक समय्समय पर संशोधित <u>पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो)(ि वर्षकी वरिका वर्षकी वर्षकी वरिका वर्षकी वर्षकी वर्षकी वर्यकी वर्षकी वरिका वर्षकी वरिका वर्षकी वर्षकी वर्षकी वर्षकी वरिका वर्षकी वर्षकी वरिका </u>

'जब जारी ट्रेडिंग के लिए पात्रता

22. स्टॉक समय-समय पर यथासंशोधित <u>24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी</u> परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25 के केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जबजारीलेक्क्रिक्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार "जब जारी किया गयाट्टैडिंग के लिए पाऋोंगे।

गैर-निवासी द्वारा निवेश

23. गैर-निवासियों द्वारा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश हेतु 'पूर्णत: सुलभ मार्ग' संबंधी दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन हैं।